

Fundamental Rights (V)

(मौलिक अधिकार)



Join SelectionWay GS Channel

Join SelectionWay GS Channel

Shubham Gupta Sir

संस्कृति और शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 29 और 30
(Articles 29 & 30)

अनुच्छेद 29
अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण



अनुच्छेद 30
शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार

अनुच्छेद 29 → अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण

29 (1)

- भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले "नागरिकों के किसी भी अनुभाग" को, जिसकी अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 29(1) एक समूह अधिकार (Group Right) है

29 (2)

- राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।
- अनुच्छेद 29(2) एक व्यक्तिगत अधिकार (Individual Right) है

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग)

1993 (17 मई 1993)	5 समुदाय अधिसूचित: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध व पारसी (जोरोआस्ट्रियन)
2014 (27 जनवरी 2014)	जैन समुदाय को छोटे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में जोड़ा गया

अनुच्छेद 30 → शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार

30 (1)

- धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन (Establish and Administer) का अधिकार होगा।

30 (1A)

- यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए कोई कानून बनाती है, तो राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि उस संपत्ति के लिए जो मुआवजा (Compensation) तय किया जाए, वह इतना हो जिससे इस अनुच्छेद के तहत दिए गए अधिकार का हनन न हो।
- इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।

30 (2)

- राज्य, अल्पसंख्यक-वर्ग के शिक्षा संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने में विभेद नहीं करेगा।

➤ यह अधिकार केवल धार्मिक (Religious) और भाषाई (Linguistic) अल्पसंख्यकों को प्राप्त है।

➤ अनुच्छेद 30 → निरपेक्ष अधिकार नहीं। राज्य इन संस्थानों में शिक्षा का स्तर बनाए रखने, सफाई, और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उचित नियम बना सकता है।

- ❖ संविधान में कहीं भी 'अल्पसंख्यक' शब्द परिभाषित नहीं है। संविधान केवल अनुच्छेद 29 व 30 में अल्पसंख्यकों के लिए भाषिक व धार्मिक आधार देता है।
- ❖ T.M.A. Pai Foundation केस (2002) → अनुच्छेद 30 के प्रयोजनार्थ अल्पसंख्यक की स्थिति का निर्धारण 'राज्य' (राज्य-स्तर) के आधार पर होगा
- ❖ अनुच्छेद 29(1) में इस्तेमाल किया गया शब्द "नागरिकों के किसी भी अनुभाग" में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों शामिल हैं।
- ❖ सुप्रीम कोर्ट की एक व्यवस्था के अनुसार, नागरिकों द्वारा अपनी भाषा के संरक्षण के लिए राजनीतिक आंदोलन करना अनुच्छेद 29(1) के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसलिए, भाषा के आधार पर वोट मांगना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 के तहत 'भ्रष्ट आचरण' (Corrupt practice) नहीं माना जाता है।
- ❖ केवल चार आधार: ध्यान दें कि अनुच्छेद 29(2) में भेदभाव रोकने के केवल चार आधार बताए गए हैं— धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा। इसमें 'लिंग' (Sex) और 'जन्म स्थान' (Place of birth) शामिल नहीं हैं।

भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएँ (8वीं अनुसूची)

भाषा	बोलने वालों की संख्या (करोड़ में)	कुल जनसंख्या का प्रतिशत (%)
हिंदी	52.83 करोड़	43.63%
बंगाली	9.72 करोड़	8.03%
मराठी	8.30 करोड़	6.86%
तेलुगु	8.11 करोड़	6.70%
तमिल	6.90 करोड़	5.70%

संस्कृत : लगभग 24,821 लोग — 8वीं अनुसूची में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा।

विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएँ

- 1 अंग्रेजी (English)
- 2 मंदारिन (चीनी)
- 3 हिंदी (Hindi)
- 4 स्पैनिश (Spanish)



जनगणना 2011 — धर्म आधारित जनसंख्या आँकड़े

धर्म	जनसंख्या (करोड़)	प्रतिशत
हिंदू	96.63	79.8%
मुस्लिम	17.22	14.2%
ईसाई	2.78	2.3%
सिख	2.08	1.7%
बौद्ध	0.84	0.7%
जैन	0.45	0.4%
अन्य धर्म व निष्ठाएँ	0.79	0.7%
धर्म न बताने वाले	0.29	0.2%

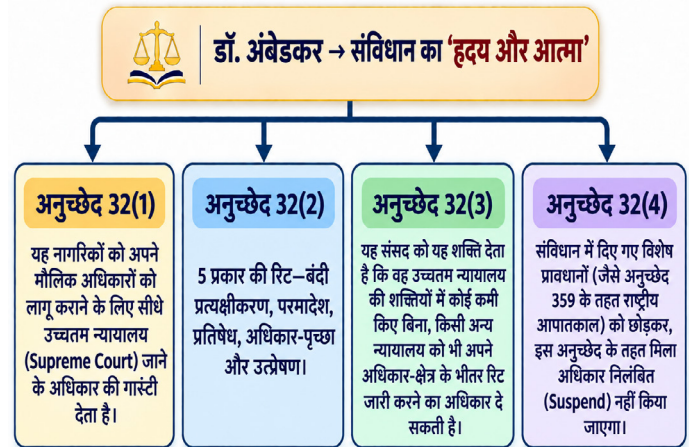
- ❖ 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय मिलकर जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 19-20% भाग हैं।
- ❖ जम्मू-कश्मीर व लक्षद्वीप ही ऐसे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश हैं जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं;
- ❖ पंजाब में सिख तथा मेघालय, मिजोरम व नागालैंड में ईसाई बहुसंख्यक हैं।
- ❖ मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर (24.6%) सबसे अधिक तथा जैन समुदाय की वृद्धि दर (5.4%) सबसे कम रही।

अनुच्छेद 31 → संपत्ति का अनिवार्य अर्जन [निरसित]

- 20 जून 1979 — इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों (भाग III) की सूची से हटा दिया गया था। (मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार थी)।
- संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं, बल्कि अनुच्छेद 300-क (भाग XII) के तहत केवल एक 'संवैधानिक तथा विधिक अधिकार' (Legal/Constitutional Right) है

- **अनुच्छेद 31A (1st Amendment, 1951)** → यह कृषि भूमि सुधारों (Land reforms) और जमींदारी उन्मूलन से जुड़े कानूनों को इस आधार पर अदालती चुनौती से बचाता है कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
- **अनुच्छेद 31B (1st Amendment, 1951)** → इसके तहत 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। इसमें डाले गए किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) से मुक्ति प्राप्त थी।
- **अनुच्छेद 31C (25th Amendment, 1971)** → यह प्रावधान करता है कि यदि सरकार अनुच्छेद 39(b) या 39(c) (राज्य के नीति निर्देशक तत्व) को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है, तो उसे अनुच्छेद 14 या 19 के उल्लंघन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 32 : संवैधानिक उपचारों का अधिकार



Available on

Flipkart

